

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

आल्का (अर्थालिया) वनाम आदिकुमोठ(गाँव)

किस्म मुकदमा ..... प्रारंभ (पत्र) 111-128 ..... नं० 79 ..... सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्ल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील में जारी हुए
21-4-23  3/6 23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 16.5.23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल</p> <p>पत्रावली महंगई राहत कैम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पचौयत से तोरुपुरा में पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल हो कर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जाकर निर्णय पुष्पकुसे लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फँसल शुमार होकर मम्बर से कम हो।</p> <p>हुक्मीचन्द रोहिलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023</p>	



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 79/23 प्रा०पत्र

1- श्रीमती आल्का प्ल० महेश कुमार लैयलिया निवासी-शास्त्रीनगर भीलवाडा

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री सदीक मोहम्मद प्ल० दिलदार खान पट्टान निवासी-लाल रंगापी कास्वेडा तहसील (कौशा)  
(सहायक प्रा०पत्रासल०)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 03.6.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाल रंगापी कास्वेडा पटवार हल्का जालीकपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० 10076/7729 कुल किता 0.1 रकबा 0-3288 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21-4-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम लाल रंगापी कास्वेडा पटवार हल्का जालीकपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 10076/7729 कुल किता 0.1 रकबा 0-3288 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक राजा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिती को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023